रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2296] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 2012/अग्रहायण 3, 1934

No. 2296] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 2012/AGRAHAYANA 3, 1934

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2779(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, लखनऊ को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 788(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री रामाश्रय सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री रामाश्रय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2779(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Third Court of Additional District and Sessions Judge, Lucknow, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Uttar Pradesh *vide* notification number S. O. 788(E), dated the 26th April, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature, Allahabad, has recommended the name of Sri Ramashray Singh, Additional District and Sessions Judge, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri Ramashray Singh, Additional District & Sessions Judge as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2780(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, शिमला को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2159(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, हिमाचल प्रदेश, शिमला उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री पियार सिंह राणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री पियार सिंह राणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2780(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Shimla, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Himachal Pradesh *vide* notification number S. O. 2159(E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, has recommended the name of Sri Piar Singh Rana, District and Sessions Judge, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Piar Singh Rana, District & Sessions Judge as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2781(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, कवरती को दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2156(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री पुत्तेकदन उबेद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोडे के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री पुत्तेकदन उबेद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोडे को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2781(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Dirtrict Court, Kavarati as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Lakshadweep *vide* notification number S. O. 2156(E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Kerala has recommended the name of Sri Puttekadan Ubaid, District and Sessions Judge, Kozhikode to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Puttekadan Ubaid, District & Sessions Judge, Kozhikode as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2782(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I का न्यायालय, पटना को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2158(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के नाम की संस्तुति की है;

अत:, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2782(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Additional District and Sessions Judge-I, Patna, as, the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Bihar *vide* notification number S. O. 2158(E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Patna has recommended the name of Shri Suresh Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Patna to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Suresh Chandra Srivastava, Additional District and Sessions Judge, Patna as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2783(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, नार्थ गोवा को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1456(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण गोवा राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री प्रदीप सवाईकर, जिला न्यायाधीश-I एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मपुसा, जिला पणजी के नाम की संस्तुति की है;

अत:, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री प्रदीप सवाईकर, जिला न्यायाधीश-1 एवं अपर सत्र न्यायाधीश मपुसा, जिला पणजी को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2783(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge, at North Goa, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Goa *vide* notification number S. O. 1456(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Pradip Sawaikar, District Judge-I, and Additional Sessions Judge, Mapusa, District Panji, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Pradip Sawaikar, Distict Judge-I and Additional Sessions Judge, Mapusa, District Panji as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2784(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1457(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री भोजराज पदमशेट्टी पाटिल, प्रधान जिला न्यायाधीश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री भोजराज पदमशेट्टी पाटिल, प्रधान जिला न्यायाधीश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2784(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge, Dadra and Nagar Haveli at Silvasa, as, the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Dadara and Nagar Haveli *vide* notification number S.O. 1457(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Bhojraj Padamshetti Patil, Principal District Judge, Dadara and Nagar Haveli at Silvasa, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Bhojraj Padamshetti Patil, Principal District Judge, Dadara and Nagar Haveli at Silvasa as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2785(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, द्वीव, को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1458(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण द्वीव संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2785(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge at Diu as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Diu *vide* notification number S.O. 1458(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2786(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दमन को दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1459(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण दमन संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मुम्बई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री श्री बाल साम्बशिव वासेकर, प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वीव को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI(IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2786(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Sessions Judge at Daman, as the Special Court for purposes of sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union Territory of Daman *vide* notification number S.O. 1459(E), dated the 25th June, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay has recommended the name of Shri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Bal Sambshio Wasekar, Principal District Judge, Diu, as a "Judge" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI(IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

4396 GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.